न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 05/2025
हरि पुत्र चन्दर जाति मीना निवासी ऊकरून्द तहसील मंडावर जिला दौसा

...अपीलांट

बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मंडावर जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश तहसीलदार मंडावर दिनांक 17.02.2023 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम हरि प्रकरण सं0 41/2022 धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री बजरंग लाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 3.9.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार मंडावर द्वारा दिनांक 17.2.2022 को ग्राम उकरूंद तहसील मंडावर के खसरा नंबर 1046 रकबा 16 वर्गमीटर पर पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि पटवारी हल्का ने अधिनस्थ न्यायालय मे एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि संवत 2079 ग्राम ऊकरून्द की भूमि खसरा नंबर 1046 अतिक्रमण रकबा 0.016 है0 (16 वर्गमीटर) राजकीय सिवाय चक भूमि किस्म गै०मु० रास्ते पर गैर सायल हरि द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलान्ट दिनांक 20.12.2022 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा अपीलान्ट बिना पढा लिखा व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय ने केवल हाजरी बाबत अंगूठा करवाया था अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण करना स्वीकार नहीं किया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की बिना पढा लिखे होने का नाजायज फायदा उठाकर अतिक्रमण करना लिख दिया इसके पश्चात दिनांक 17.02.2023 को अपीलान्ट की तबियत ठीक नहीं थी इसलिए दिनांक 17.02.2023 को अपीलान्ट का पुत्र अशोक अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा अपीलान्ट के पुत्र द्वारा दस्तावेज, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी 2018, मिलान क्षेत्रफल 2025 से 2069 आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की तथा अपीलान्ट के पुत्र के आर्डरशीट पर हस्ताक्षर करवा लिये परन्तु अपीलान्ट के पुत्र के, समक्ष अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया बल्कि अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में निर्णय पारित कर दिया तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर बिना विचार किये ही अवैधानिक रूप से निर्णय पारित कर दिया तथा अपीलान्ट को तीन माह की सजा व पैनल्टी से दंडित करने का आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं थी अब दिनांक 06.04.2024 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थी अपीलान्ट के घर पुलिस वारण्ट लेकर गई तब घरवालों ने बताया जिसकी जानकारी पर दिनांक 07.04.2025 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 07.04.2025 को प्राप्त हुई इसलिए उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:43:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट के पुत्र द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेजात का अधिनस्थ न्यायालय ने अवलोकन ही नही किया तथा बिना अवलोकन किये ही निर्णय पारित किया है तथा उक्त भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय उप जिला कलेक्टर मंडावर की न्यायालय में वाद दुरूस्ती का विचाराधीन है। क्योंकि सेटलेमेन्ट द्वारा गलत व अवैध तरीके से प्रार्थी अपीलान्ट की भूमि को गै०मु० रास्ते में शामिल कर दिया था जिसको दुरूस्त कराने का दावा सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई निर्णय, व सबूत न होने के बावजूद भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह तक का भी मौका नहीं मिला और न ही अपीलान्ट की मौजूदगी में कोई बयान हुए और न ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्शित ही हुई है बल्कि बिना प्रदर्शित हुये उक्त रिपोर्ट साक्ष्य में ग्रह योग्य ही नही थी तथ उसके आधार पर किया गया निर्णय अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने कभी भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अतिक्रमण करना स्वीकार नहीं किया बल्कि अपीलान्ट बिना पढा लिखा है जिसमें आर्डरशीट पर हाजिर होने के संबंध में अंगूठा किया है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से अतिक्रमण करना स्वीकार करते हुए गलत तरीके से आर्डरशीट में अंकित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को संक्षिप्त जवाब व सबूत का मौका ही नहीं दिया। जबकि कानूनन पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर निर्णय पारित करना चाहिए था इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर बिना विचार किये ही अवैधानिक रूप से निर्णय पारित कर दिया तथा अपीलान्ट को तीन माह की सजा व पैनल्टी से दंडित करने का आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं थी अब दिनांक 06.04.2024 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थी अपीलान्ट के घर पुलिस वारण्ट लेकर गई तब घरवालो ने बताया इस जानकारी पर दिनांक 07.04.2025 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 07.04.2025 को प्राप्त हुई इसलिए उक्त निर्णय के विरूद्व अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2023 निरस्त फरमाते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का उकरूंद द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक उकरूंद से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट्स ने राजकीय सिवायक चक किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि खसरा नंबर 1046 रकबा 16 वर्गमीटर पर मकान पक्का निर्माण बनाकर अतिचार किया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती होना अंकित किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का रसीदपुर द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय सिवाय चक किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:13:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

नंबर खसरा नंबर 1046 रकबा 16 वर्गमीटर पर मकान पक्का निर्माण कर अतिचार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट्स अधीनस्थ तहसीलदार मण्डावर के न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 31.3.2023 तक जो अतिक्रमण है उसे हटा लिया जायेगा। जिससे यह सिद्ध होता है कि अपीलांट के द्वारा राजकीय सिवायचक किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया है। तहसीलदार मण्डावर द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया दिया जाकर राजकीय सिवायचक गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिचार किया जाना प्रमाणित होता है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.2.2023 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 3 सितम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:13:12 IST
Reason: SelfAttested